फार्म नं0 III – फर्द अहकाम (नियम 25)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/275

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 116/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मंगतराम बजाज पुत्र श्री मुंशीराम बजाज **–खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक–**
मै0 मुंशीराम मंगताराम, मेन बाजार, बस स्टेण्ड के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51&52

निर्णय **दिनांक :18.10.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक सं./एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा अधिकृत किया गया। एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर के आदेश कमांकः–संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.02.2022 को समय 11.30 बजे मैसर्स मुंशीराम मंगतराम, मेन बाजार, बस स्टेण्ड के पास सादुलशहर, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, मौके पर **श्री मंगतराम बजाज पुत्र श्री मुंशीराम बजाज (विकेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अंदर रैक पर 500–500 एमएल के 20 डिब्बे **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** को आमजन के बेचाने वास्ते होना बताया। **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान ने व तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** 500–500 एमएल के 04 डिब्बों को विकेता से खरीद किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 600/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और तात्कालिन अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

कहा जिसे **मंगतराम बजाज** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **मंगतराम बजाज** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड) 500–500 एमएल** की चारों मूल डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1378** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1378** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्रीमंगतराम बजाज** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./285/Act/2022/285 Dated 03.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1378 Sub-standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्त/खा. सु.औ.नि./स.सी/2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवर पाल सिंह को प्रकरण संस्थित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **मंगतराम बजाज पुत्र श्री मुंशीराम बजाज मैसर्स मुंशीराम मंगतराम, मैन बाजार, बस स्टैण्ड के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **किचन स्पेशल लाइट (उजाला ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि हम किरयाना के छोटे से व्यवसाय से जुडे हुए हैं, हमने उजाला ब्रांड का किचन स्पेशल जो कि हमने के.आर. सेल्स, सादुलशहर से कय करके खरीदा, जिसका बिल इसके साथ संलग्न है। इसकी कॉपी हमने सीएमएचओ, श्रीगंगानगर में भी 21.03.2022 को जमा करवाई। कृप्या इस प्रकरण का निवारण करने का कष्ट करें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **किचन स्पेशल लाइट(उजाला ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1378** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–L.S./285/Act/2023/285 Dated 03-03-2022 द्वारा **Sub-standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि हम किरयाना के छोटे से व्यवसाय से जुडे हुए हैं, हमने उजाला ब्रांड का किचन स्पेशल जो कि हमने के.आर. सेल्स, सादुलशहर से कय करके खरीदा, जिसका बिल इसके साथ संलग्न है। इसकी कॉपी हमने सीएमएचओ, श्रीगंगानगर में भी 21.03.2022 को जमा करवाई। कृप्या इस प्रकरण का निवारण करने का कष्ट करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Kitchen Special Lite(UJALA)" bearing Code No and Sr. No. K-1378, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is an admixture of Hydrogenated vegetable oil, Refined vegetable oil and Milk Fat as mentioned on the label. The sample is Sub-Standard Food as the sale of admixture of Hydrogenated vegetable oil, Refined vegetable oil and Milk Fat is prohibited under** Regulation No. 2.1.1(6) and 2.3.7 of **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, Act-2011. The Sample is also Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(A)(i)(a) and 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **मंगतराम बजाज पुत्र श्री मुंशीराम बजाज** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त मंगतराम बजाज पुत्र श्री मुंशीराम बजाज को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत राशि रूपये **25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त **मंगतराम बजाज पुत्र श्री मुंशीराम बजाज** को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर